



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001
Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124;

Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in

संख्या : 1569/उ0आ0वि0/अधि0/शुल्क/2018-19

दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

BAMS/BHMS, MS/MD (Ayurved) पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) से संबंधित आवश्यक सूचना

➤ **BAMS, MS/MD (Ayurved) (परिसर कालेजों में राज्य कोटे की सीटों हेतु)**

क्र० सं०	शुल्क विवरण	BAMS हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)	MS/MD (Ayurved) हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)	
1	शिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	60,000	—
		द्वितीय वर्ष	60,000	—
		तृतीय वर्ष	60,000	—
		चतुर्थ वर्ष	60,000	—
		पंचम वर्ष (06 माह)	30,000	—
2	प्रशिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	—	1,35,000
		द्वितीय वर्ष	—	1,35,000
		तृतीय वर्ष	—	1,35,000
3	प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	5,000	5,000	
4	कासन मनी (रक्षाधन) (केवल प्रवेश के समय)	10,000	10,000	
5	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)*	12,000	12,000	
6	बिजली शुल्क (प्रतिवर्ष)*	6,000	6,000	

*हॉस्टल उपलब्धता के आधार पर।

➤ **BAMS, MS/MD (Ayurved) (परिसर कालेजों में स्व:वित्त पोषित (Self finance/ All India Quota) कोटे की सीटों हेतु)***


क्र० सं०	शुल्क विवरण	BAMS हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)	MS/MD (Ayurved) हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)
1	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	1,50,000	—
2	प्रशिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	—	2,50,000
3	प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	5,000	5,000
4	कासन मनी (रक्षाधन) (केवल प्रवेश के समय)	10,000	10,000
5	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)	12,000	12,000
6	बिजली शुल्क (प्रतिवर्ष)	6,000	6,000

*नोट : स्व:वित्त पोषित (Self finance/ All India Quota) कोटे की सीटों पर शिक्षण शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रकरण मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन शुल्क संशोधित किया जा सकता है।

- BAMS/ BHMS, MS/MD (Ayurved) (निजी कालेजों में राज्य कोटे एवं प्रबन्धकीय कोटे / अखिल भारतीय कोटे (State Quota & Management Quota/All India Quota) कोटे की सीटों हेतु)*

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क
1	<u>BAMS</u> हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 2,15,000 /- प्रतिवर्ष
2	<u>BHMS</u> हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 1,10,000 /- प्रतिवर्ष
3	<u>MS/MD (Ayurved)</u> हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क (रूपये में)	रु० 3,15,000 /- प्रतिवर्ष

*नोट : निजी आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षण शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रकरण प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति में विचाराधीन है।


(डॉ० रजेश कुमार)
प्रभारी कुलसचिव